




न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा आज्ञा-पत्र

उनवान..... नानूबाईबनाम रामा

किस्म मुकदमा चार्ज - २२३ अकील संख्या २०२५/१३५

अभिभाषक अपीलान्त परा. सि. अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|----------------|--|---|
| 21.11.25 | <p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलान्त एवं अपीलांत को रूक - रूक कर तीन बार आवाजे लगवायी गयी फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त हो चुका है। पत्रावली में अभिभाषक अपीलांत द्वारा रेस्पोंडेंटगण की तामील जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. आदिनांक तक नहीं करवाई गयी है। अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो!</p> <p style="text-align: center;">  (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा </p> |  |



न्यायालय :- भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

कोटा केम्प झालावाड राज0

अपील संख्या /2025

1. नानूबाई बेवा लालू पुत्री छीतरलाल जाति मेघवाल निवासी रसूलपुरा तहसील पिडावा जिला झालावाड राज0

.....अपीलान्ट

बनाम

1. रामा पुत्र मांगीलाल जाति मेघवाल निवास रसूलपुरा तहसील पिडावा
2. नरवरसिंह पुत्र मांगीलाल जाति मेघवाल निवास रसूलपुरा तहसील पिडावा
3. हरिसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी रसूलपुरा तहसील पिडावा
4. पूरसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी रसूलपुरा तहसील पिडावा
5. दुल्हेसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी रसूलपुरा तहसील पिडावा
6. गोकुलसिंह पुत्र दुल्हेसिंह जाति राजपूत निवासी रसूलपुरा तहसील पिडावा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा जिला झालावाड राज0

.....रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट

बनाराजी निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा दिनांक 01.05.2025

उनवान नानूबाई बनाम रामा वगैराह मिसल नं. 117/2011

महोदय,

अपील अपीलान्ट माननीय न्यायालय में निम्न कारणों से सादर प्रस्तुत है :-

1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्र संग्रह सार के विपरित होने से खारिज होने योग्य है।
2. यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने से पूर्व इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि ग्राम रसूलपुरा तहसील पिडावा की खाता संख्या 149 पुराना 137 के अन्तर्गत खसरा नं. 568 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा आराजी वादीया (अपीलान्ट) की गैर खाते में दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2058 - 61 सलग्न है। उक्त आराजीयात वादी के पिता छीतरलाल के आवंटन हुई थी तथा छीतरलाल की मृत्यु के बाद नामान्तकरण संख्या 109 के तहत उक्त आराजी वादीया और उसकी मां देवबाई के नाम दर्ज हुई तथा देवबाई की मृत्यु के बाद

निष्कर्ष
नानूबाई